



भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन
राज्य का वित्त



मध्य प्रदेश सरकार

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन

राज्य का वित्त

मध्य प्रदेश सरकार

विषय सूची

| विवरण | कंडिका | पृष्ठ क्रमांक |
|--|--------|---------------|
| प्राक्कथन | | ix |
| कार्यपालन सारांश | | xi |
| अध्याय 1 | | |
| राज्य सरकार के वित्त | | |
| राज्य की रूपरेखा | | 1 |
| प्रस्तावना | 1.1 | 2 |
| 2013-14 में राजकोषीय लेन-देनों का सारांश | 1.1.1 | 3 |
| राजकोषीय स्थिति की समीक्षा | 1.1.2 | 4 |
| बजट अनुमान और वास्तविक आंकड़ें | 1.1.3 | 5 |
| जेण्डर बजटिंग | 1.1.4 | 6 |
| राज्य के संसाधन | 1.2 | 8 |
| वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन | 1.2.1 | 8 |
| राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को राज्य बजट से बाहर निधियों का अंतरण | 1.2.2 | 10 |
| राजस्व प्राप्तियां | 1.3 | 11 |
| राज्य के स्वयं के संसाधन | 1.3.1 | 14 |
| भारत सरकार से सहायता अनुदान | 1.3.2 | 16 |
| केंद्रीय कर अंतरण | 1.3.3 | 17 |
| तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों का अधिकतम उपयोग | 1.3.4 | 17 |
| संभावित राजस्व की हानि (Foregone Revenue) | 1.3.5 | 19 |
| पूंजीगत प्राप्तियां | 1.4 | 20 |
| विनिवेश से प्राप्ति | 1.4.1 | 20 |
| कर्ज एवं अग्रिमों की वसूलियां | 1.4.2 | 20 |
| लोक ऋण प्राप्तियां | 1.4.3 | 21 |
| लोक लेखे प्राप्तियां | 1.5 | 21 |
| संसाधनों का अनुप्रयोग | 1.6 | 21 |

| विवरण | कंडिका | पृष्ठ क्रमांक |
|--|--------|---------------|
| व्यय की वृद्धि एवं संरचना | 1.6.1 | 22 |
| पूंजीगत व्यय | 1.6.2 | 24 |
| राजस्व व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति | 1.6.3 | 24 |
| वेतन, ब्याज भुगतान, पेंशन भुगतान एवं राजसहायताओं पर व्यय | 1.6.4 | 25 |
| राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता | 1.6.5 | 28 |
| स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा व्यवस्थाएँ एवं निधियों का हस्तांतरण | 1.6.6 | 29 |
| व्यय की गुणवत्ता | 1.7 | 30 |
| सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता | 1.7.1 | 30 |
| व्यय के उपयोग की दक्षता | 1.7.2 | 31 |
| शासकीय व्यय और निवेशों का वित्तीय विश्लेषण | 1.8 | 33 |
| निवेश तथा प्रतिलाभ | 1.8.1 | 33 |
| अपूर्ण परियोजनाएं | 1.8.2 | 34 |
| राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा अग्रिम | 1.8.3 | 35 |
| रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश | 1.8.4 | 36 |
| परिसम्पत्तियां तथा देयताएं | 1.9 | 37 |
| परिसम्पत्तियों तथा देयताओं की वृद्धि तथा संरचना | 1.9.1 | 37 |
| राजकोषीय देयताएं | 1.9.2 | 37 |
| समस्त ऋणों के परिशोधन के लिए निक्षेप निधि की स्थापना | 1.9.3 | 39 |
| गारंटियों की स्थिति-आकस्मिक देयताएं | 1.9.4 | 39 |
| असंचालित आरक्षित निधियाँ | 1.9.5 | 41 |
| ऋण प्रबंधन | 1.10 | 41 |
| ऋण संधारणीयता | 1.10.1 | 41 |

| विवरण | कंडिका | पृष्ठ क्रमांक |
|--|--------|---------------|
| ऋण स्थिरीकरण | 1.10.2 | 42 |
| ऋणोत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता | 1.10.3 | 42 |
| उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता | 1.10.4 | 42 |
| राज्य ऋण की परिपक्वता रूपरेखा | 1.10.5 | 43 |
| राजकोषीय असंतुलन | 1.11 | 43 |
| राजकोषीय घाटे के संघटक तथा इसकी वित्त व्यवस्था का प्रतिरूप | 1.11.1 | 45 |
| घाटे/आधिक्य की गुणवत्ता | 1.12 | 46 |
| निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं | 1.13 | 47 |
| अध्याय 2 | | |
| वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण | | |
| प्रस्तावना | 2.1 | 51 |
| विनियोग लेखे का सारांश | 2.2 | 51 |
| वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन | 2.3 | 53 |
| आवंटनीय प्राथमिकताओं की तुलना में विनियोग-सारभूत बचतें | 2.3.1 | 53 |
| सतत बचतें | 2.3.2 | 54 |
| योजनाओं के अंतर्गत अधिक व्यय | 2.3.3 | 55 |
| योजनाओं के अंतर्गत अप्रयुक्त प्रावधान | 2.3.4 | 55 |
| 2013-14 के दौरान प्रावधान से आधिक्य जिनके नियमन की आवश्यकता है | 2.3.5 | 55 |
| विगत वर्षों से संबंधित प्रावधान से आधिक्य जिनके नियमन की आवश्यकता है | 2.3.6 | 56 |
| अनावश्यक/अत्यधिक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान | 2.3.7 | 57 |
| निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग/समर्पण | 2.3.8 | 57 |
| समर्पित न की गई प्रत्याशित बचतें | 2.3.9 | 57 |
| व्यय की अत्यधिकता | 2.3.10 | 57 |

| विवरण | कंडिका | पृष्ठ क्रमांक |
|--|--------|---------------|
| निधियों का आहरण एवं सिविल जमा में रखना | 2.3.11 | 58 |
| बजट में नवीन मदों पर व्यय के लिये किए गए प्रावधान का उपयोग न होना | 2.3.12 | 58 |
| अवास्तविक बजट अनुमान | 2.3.13 | 58 |
| चयनित अनुदानों की समीक्षा का परिणाम | 2.4 | 59 |
| सारांशीकृत स्थिति | 2.4.1 | 59 |
| बजट अनुमानों की तदर्थ आधार पर तैयारी | 2.4.2 | 60 |
| व्यय की अत्यधिकता | 2.4.3 | 60 |
| बचत को देशी से/नहीं समर्पित किया जाना | 2.4.4 | 60 |
| अनावश्यक अनुपूरक बजट प्रावधान | 2.4.5 | 61 |
| त्रुटियुक्त बजटिंग | 2.4.6 | 62 |
| निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं | 2.5 | 62 |
| अध्याय 3 | | |
| वित्तीय प्रतिवेदन | | |
| उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विलंब | 3.1 | 65 |
| स्वायत्त निकायों के लेखाओं/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति में विलंब | 3.2 | 66 |
| दुर्विनियोग, हानियां, गबन इत्यादि की सूचना | 3.3 | 67 |
| विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयकों की प्रस्तुति में विलंब | 3.4 | 68 |
| संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के विरुद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयकों की प्रस्तुति में विलंब | 3.4.1 | 68 |
| विभागीय प्राप्तियों एवं व्यय का मिलान | 3.5 | 70 |
| अस्थायी अग्रिमों का समायोजन न होना | 3.6 | 70 |
| लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां' एवं '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत बुकिंग | 3.7 | 71 |
| निकायों एवं प्राधिकरणों को दिए गए अनुदान या ऋण के विवरणों को प्रस्तुत न करना | 3.8 | 72 |
| व्यक्तिगत जमा खातों का रख-रखाव | 3.9 | 72 |
| निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं | 3.10 | 75 |

परिशिष्ट

| सरल क्रमांक | विवरण | पृष्ठ क्रमांक |
|-------------|---|---------------|
| 1.1 | राज्य रूपरेखा (मध्य प्रदेश) | 79 |
| 1.2 भाग-क | सरकारी लेखों की संरचना | 80 |
| 1.2 भाग-ख | पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य की 31 मार्च 2014 को परिसंपत्तियों एवं देयताओं का उत्तरवर्ती मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों के मध्य विभाजन दर्शाने वाला विवरण पत्र | 81 |
| 1.3 भाग-क | राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अंगीकृत प्रणाली | 82 |
| 1.3 भाग-ख | राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 | 83 |
| 1.3 भाग-ग | चयनित राजकोषीय संकेतकों की प्रवृत्ति | 85 |
| 1.4 | राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध आंकड़े | 86 |
| 1.5 भाग-क | वर्ष 2013-14 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सारांश | 90 |
| 1.5 भाग-ख | 31 मार्च 2014 को मध्य प्रदेश सरकार की सारांशीकृत वित्तीय स्थिति | 94 |
| 1.6 | खेल एवं युवा कल्याण विभाग एवं जनजातीय कल्याण विभाग के श्रेणी-2 के अंतर्गत बचतों का विवरण | 96 |
| 1.7 | वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान राजसहायता भुगतानों का विवरण | 97 |
| 1.8 भाग-क | राज्य सरकार द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों को कार्यों का हस्तांतरण | 100 |
| 1.8 भाग-ख | राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कार्यों का हस्तांतरण | 100 |
| 1.9 | अद्यतन वर्ष जिसके लिये लेखाओं को अन्तिम रूप दिया गया था, 31 मार्च 2014 की स्थिति में हानि में चलने वाले सांविधिक निगमों/सरकारी कम्पनियों की वित्तीय स्थिति | 102 |
| 1.10 भाग-क | अपूर्ण परियोजनाओं का विवरण जिसमें प्रारंभिक बजट लागत का पुनरीक्षण किया गया-ऊर्जा विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग एवं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण | 104 |

| सरल क्रमांक | विवरण | पृष्ठ क्रमांक |
|-------------|---|---------------|
| 1.10 भाग-ख | अपूर्ण परियोजनाओं का विवरण जिसमें प्रारंभिक बजट लागत का पुनरीक्षण नहीं किया गया-ऊर्जा विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग एवं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण | 104 |
| 1.10 भाग-ग | अपूर्ण परियोजनाओं का विवरण जिनमें वास्तविक व्यय, प्रारंभिक बजट से अधिक है लेकिन परियोजनाओं की लागत का पुनरीक्षण नहीं किया गया-जल संसाधन विभाग एवं लोक निर्माण विभाग | 104 |
| 1.11 | मई 2014 तक विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाओं की स्थिति | 105 |
| 2.1 | विभिन्न अनुदानों/विनियोगों जिनमें बचतें ₹ 10 करोड़ से अधिक और कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से भी अधिक थी, का विवरण पत्र | 106 |
| 2.2 (क) | तालिका 2.2 में दिए गए अनुदानों/विनियोगों से संबंधित योजनाओं के प्रकरण जिनमें सारभूत बचतें (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 20 करोड़ से अधिक) हुईं | 109 |
| 2.2 (ख) | अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत विभिन्न योजनाएं जिनमें प्रत्येक में व्यय ₹ 10 करोड़ से अधिक और कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था, का विवरण पत्र | 115 |
| 2.2 (ग) | योजनाओं के प्रकरण जिनमें सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 10 करोड़ या अधिक अप्रयुक्त रहा | 119 |
| 2.3 | पिछले वर्षों के प्रावधान से अधिक व्यय जिसके नियमन की आवश्यकता है | 126 |
| 2.4 | वे प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ अथवा इससे अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए | 127 |
| 2.5 | वे प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान अधिक सिद्ध हुए | 130 |
| 2.6 | निधियों का अधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन/समर्पण | 132 |
| 2.7 | ₹ एक करोड़ तथा इससे अधिक एवं 20 प्रतिशत से अधिक की समर्पित नहीं की गयी बचतों का विवरण | 135 |
| 2.8 | 31 मार्च 2014 को ₹ 10 करोड़ से अधिक निधियों के समर्पण के प्रकरण | 138 |
| 2.9 | व्यय की अत्यधिकता | 140 |
| 2.10 | बजट में प्रावधानित नवीन मद के व्यय के लिए ₹ एक करोड़ से अधिक का प्रावधान अप्रयुक्त दिखाए जाने वाला विवरण पत्र | 143 |

| सरल क्रमांक | विवरण | पृष्ठ क्रमांक |
|-------------|---|---------------|
| 2.11 | ऐसे प्रकरण जिनमें पिछले दो वर्ष के दौरान ₹ एक करोड़ से अधिक के संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे | 144 |
| 2.12 | चयनित अनुदानों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अप्रयुक्त प्रावधान | 148 |
| 2.13 | चयनित अनुदानों में व्यय की अत्यधिकता | 149 |
| 3.1 | मार्च 2014 तक की स्थिति में लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की विभागवार जानकारी | 151 |
| 3.2 | दुर्विनियोग, गबन आदि के प्रकरणों का विभागवार/अवधिवार ब्यौरा | 152 |
| 3.3 | चोरी, दुर्विनियोग/सरकारी सामग्रियों की हानि के प्रकरणों के संबंध में विभाग/संवर्गवार विवरण | 154 |
| 3.4 | 2013-14 के दौरान अपलेखन के प्रकरणों के विभागवार विवरण | 156 |
| 3.5 | लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत बुकिंग | 157 |
| 3.6 | लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियों' के अंतर्गत बुकिंग | 158 |